UPAN010004282015

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अम्बेडकर नगर
पीठासीनः भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता (H.J.S)
JO Code: UP 1874
CNR:UPAN010004282015
सत्र परीक्षण संख्या :–12/2015 कम्प्यूटर नम्बर 12/2015

सरकार———————————————————————————**अभियोजन**

बनाम

रामदीन आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र रामपियारे निवासी ग्राम धर्मा मुबारक पट्टी राजेपुर, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर————————————————**अभियुक्त**

मु0अ0सं0 संख्याः–232/2013
धारा–323,504,506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना–कोतवाली अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकर नगर

निर्णय

1. अभियुक्त रामदीन का विचारण उपर्युक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना–कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–232/2013, अन्तर्गत धारा–323,504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी मुकदमा सुखराज बौद्ध पुत्र जगेसर, निवासी ग्राम धर्मा मुबारक पट्टी, थाना को0 अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र जिसपर पर प्रदर्श क–5 अंकित है, इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अनुसूचित जाति (चमार) का शांतिप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रार्थी दिनांक 10.04.2013 को सांय 06:00 बजे ग्राम शुकुलपट्टी गांव के आरा मशीन के पास चाय की दुकान पर चाय पीने की नीयत से खड़ा था, इतने में विपक्षी रामदीन पुत्र रामपियारे कहार निवासी ग्राम धर्मा मुबारकपट्टी राजेपुर जो एक सरकस व गोलबंद किस्म का व्यक्ति है, वहां आया और प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहा कि चमार साले आज तुमको गिराकर मार डालूंगा। प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को लात घूसों से मारा पीटा और कहा कि तुम बहुत बड़े नेता हो गये हो, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। प्रार्थी ने गुहार लगाया तो गुहार पर हदीशुलनिशा पत्नी खाझे, हरीराम व रामअवध तथा गांव के अन्य लोग

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.17 16:24:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपस्थित आये तब किसी तरह प्रार्थी की जान बची। विपक्षी ने जाते समय कहा कि साले अब जिस दिन मिलोगे, जान से मार डालेंगे, जिसकी सूचना प्रार्थी ने तत्काल थाना कोतवाली अकबरपुर में दिया, परन्तु अकबरपुर कोतवाली द्वारा डांट कर भगा दिया गया। विपक्षी अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के लिये प्रार्थना पत्र दे रहा है। अतः प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जावे एवं प्रार्थी की जान माल की सुरक्षा की जावे।

3. वादी मुकदमा की उपर्युक्त आशय के लिखित प्रार्थना पत्र पर पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद द्वारा पारित आदेश के आधार पर थाना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकर नगर पर दिनांक 06.07.2013 को समय लगभग 14:00 बजे मु0अ0सं0 संख्या 232/2013, धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत अभियुक्त रामदीन के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा तथा बाद विवेचना अभियुक्त रामदीन के विरूद्ध मु0अ0सं0 232/2013 के अन्तर्गत आरोप–पत्र धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला यह अभिकथित करते हुये कि यह प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय है, तद्नुसार उक्त प्रकरण को दिनांक 07.02.2015 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6. अभियुक्त सत्र न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.10.205 को धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट का आरोप सृजित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 हदीशुलनिशा, पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह तथा पी.डब्लू. 3 रामअवध को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है।

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र	अभियोजन साक्षीगण

1.	प्रदर्श क–1	नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह
2.	प्रदर्श क–2	आरोप पत्र	पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह
3.	प्रदर्श क–3	चिक एफ.आइ.आर.	पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह
4.	प्रदर्श क–4	कायमी जी0डी0	पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह
5.	प्रदर्श क–5	प्रार्थना पत्र 4अ	पी.डब्लू. 3 रामअवध

<u>अभियोजन पक्ष मुख्यपरीक्षा साक्ष्य</u>

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 हदीशुलनिंशा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं सुखराज बौद्ध को जानती हूं। ये जाति के चमार हैं। घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। शाम के 06:00 बजे थे। उस समय दिन बैठ रहा था। मैं शुक्लपट्टी चौराहे से वापस आ रही थी। जब मैं चाय की दुकान पर पहुंची, चाय की दुकान रामजश कहार की है तो मैंने देखा कि सुखराज बौद्ध चाय की दुकान पर खड़े थे। रामदीन कहार आये, हाथ मुक्का से सुखराज बौद्ध को मारने लगे और कह रहे थे कि चमार साले मैं तुम्हें ढूंड रहा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और सुखराज के चिल्लाने पर मैं तथा दो चार लोग और पहुंचे, घटना देखे बीच बचाव किये। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। तीन महीने बाद सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।''

10. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 2 अशोक कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 06.07.2013 को मैं क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात था। मु0अ0सं0 232/2013 कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की गई। नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में अंकित किया। एफ.आइ.आर. लेखक हेड कां0 राम अवतार सिंह, वादी मुकदमा सुखराज, चश्मदीद साक्षी हदीशुलनिशां का बयान लिया। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी अपने लेख में बनाया। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी राम बहाल वर्मा, सुग्रीव व शिव कुमार का बयान लिया। दिनांक 23.07.2013 को चक्षुदर्शी साक्षी रामअवध का बयान लिया। दिनांक 29.07.2013 को अभियुक्त रामदीन का बयान लिया और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र कागज संख्या 14 प्रेषित किया, जिसपर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी द्वारा तस्दीक किया गया। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मुकदमें की चिक एफ.आइ.आर. हेड कां0 अवतार सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है वे मेरे अधीनस्थ कोतवाली में तैनात थे उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। चिक एफ.आइ.आर. पर प्रदर्श क–3 डाला गया। चिक एफ.आर. की मूल तथा कायमी जी0डी0 की कॉर्बन काफी शामिल पत्रावली है, जिसे मैं साबित करता हूं। कॉर्बन कॉपी मूल जी0डी0 के नीचे कॉर्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में तैयार की गई है। उक्त प्रपत्रों को साक्षी द्वारा साबित किया गया।''

11. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 3 रामअवध ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया

है कि ''घटना हुये आज से 07:00 साल हो रहा है। शाम 06:00 बजे का समय था। मैं बाजार से अपने घर जा रहा था। सुखराज पुत्र जगेशर निवासी ग्राम धर्मापट्टी के हैं जिनको मैं जानता पहचानता हूं। मैंने इनको लिखते पढ़ते देखा है। सुखराज मुझे घटना के संबंध में बताये थे कि अभियुक्त रामदीन ने मुझे जाति सूचक शब्दों से गाली दिया था, मारा पीटा था, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4अ मेरे समक्ष है जिस पर सुखराज के हस्ताक्षर बने हैं जिसे मैं तस्दीक करता हूं। सुखराज पढ़े–लिखे थे। तहरीर पर प्रदर्श क–5 डाला गया। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।''

<u>**अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्ष**</u>

12. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है तथा साक्षी पी0डब्लू0 1 द्वारा द्वारा रंजिशन बयान देने का कथन किया गया है तथा पी0डब्लू0 2 व पी0डब्लू0 3 के साक्ष्य के संबंध में कुछ न कहने का कथन किया गया है तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा है तथा अपने विशेष कथन में यह कहा है कि हदीशुलनिशां से उसकी दुश्मनी है, वादी मुकदमा ने पैसे के लाचल व हदीशुलनिशां के बहकावे में आकर उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

13. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही किसी मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

14. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सविस्तार सुने गए। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

15. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोग कथानक पूर्णतः साबित है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई तथा उसे गाली–गलौज देकर अपमानित किया गया है एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा वादी मुकदमा को अनुसूचित जाति का जानते हुये उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिये जातिसूचक गालियां दी गई। अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध विरचित किये गए आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

16. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, उनके साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। साक्षी हदीशुलनिशां से अभियुक्त की दुश्मनी है, वादी मुकदमा ने पैसे के लाचल व हदीशुलनिशां के

बहकावे में आकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना का कोई हेतुक नहीं है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं, दोषमुक्त किया जाये।

17. मैंने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

18. अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 03 गवाह परीक्षित कराये हैं।

19. अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष के गवाहों पर होता है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है, अथवा नहीं।

20. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा सुखराज बौद्ध की मृत्यु दौरान विचारण हो गई, जिसके कारण अभियोजन पक्ष द्वारा वादी मुकदमा जोकि प्रकरण का पीड़ित है, उसे परीक्षित नहीं कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को अब यह देखना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोग कथानक को साबित करने हेतु जो साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं, क्या वह साक्षी अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहते हैं अथवा नहीं?

21. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 हदीशुलनिशां परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि ''मैं सुखराज बौद्ध को जानती हूं। ये जाति के चमार हैं। घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। शाम के 06:00 बजे थे। उस समय दिन बैठ रहा था। मैं शुक्लपट्टी चौराहे से वापस आ रही थी। जब मैं चाय की दुकान पर पहुंची, चाय की दुकान रामजश कहार की है, तो मैंने देखा कि सुखराज बौद्ध चाय की दुकान पर खड़े थे। रामदीन कहार आये, हाथ मुक्का से सुखराज बौद्ध को मारने लगे और कह रहे थे कि चमार साले मैं तुम्हें ढूंड रहा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और सुखराज के चिल्लाने पर मैं तथा दो चार लोग और पहुंचे, घटना देखे तथा बीच बचाव किये। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। तीन महीने बाद सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि ''लगभग 14 साल पहले मेरे घर में आग लग गई थी। उस आग में मेरे जानवर व छप्पर जल गया था। मैंने थाने पर तहरीर दिया था। **मेरी उस तहरीर में रामदीन को मुल्जिम दिखाया था।** वह मुकदमा मेरा दर्ज नहीं हुआ।'' इस प्रकार इस साक्षी के जिरह के साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि इस साक्षी के घर में आग लग गई थी, जिसमें इस साक्षी का छप्पर व जानवर जल गये थे तथा इस घटना में इस साक्षी ने रामदीन जोकि इस मुकदमा का अभियुक्त था, उसे मुल्जिम बनाया था, किन्तु इस साक्षी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि इस साक्षी की अभियुक्त रामदीन से पुरानी रंजिश है। आगे जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि

मारपीट वाली घटना लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। **घटना के समय काफी ठण्डी थी।** इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में घटना के समय **''काफी ठण्डी''** बतायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण की घटना दिनांक 10.04.2013 की है, जोकि माह अप्रैल का महीना था, आम तौर पर अप्रैल के महीने में सर्दी नहीं होती है, जबकि इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में घटना के समय ''काफी डण्ठी'' होना बताया गया है, जिससे कथित घटना के समय व घटना स्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति को लेकर इस साक्षी के साक्ष्य से विरोधाभास प्रकट होता है। इस साक्षी ने आगे जिरह में कथन किया है कि मेरा बाजार पहितीपुर पड़ता है, मैं शुक्लपट्टी से नहीं, बल्कि पहितिपुर से लौटी थी। यदि मैंने अपने मुख्यपरीक्षा में शुक्ल पट्टी बाजार से आने वाली बात बतायी है, तो वह गलत है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि **''मैं शुक्लपट्टी चौराहे से वापस आ रही थी।''** जबकि इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मेरा बाजार पहितीपुर पड़ता है, मैं शुक्लपट्टी से नहीं, बल्कि पहितिपुर से लौटी थी। यदि मैंने अपने मुख्यपरीक्षा में शुक्ल पट्टी बाजार से आने वाली बात बतायी है, तो वह गलत है। इस साक्षी ने साक्ष्य के स्तर पर अपना निवास ग्राम राजेपुर, थाना कोतवाली अकबरपुर बताया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में शुल्क पट्टी बाजार से घटना स्थल पर आना बताया, जबकि जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं शुक्लपट्टी से नहीं, बल्कि पहितिपुर से लौटी थी। इस प्रकार घटना स्थल इस साक्षी की उपस्थिति के संबंध में मुख्यपरीक्षा व जिरह के कथनों में इस साक्षी के घटना स्थल पर पहुंचे के संबंध में घोर विरोधाभास है। इस साक्षी ने आगे जिरह में यह भी कथन किया है कि **घटना स्थल वाली चाय की दुकान किसकी थी, ये मुझे मालूम नहीं है।** जबकि इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में चाय की दुकान रामजश कहार की बतायी गई है। इस प्रकार साक्षी का यह कथन भी घटना स्थल की पहचान के संबंध में विरोधाभास उत्पन्न करता है। इस साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि मारपीट वाले स्थान पर मैं छुड़ाने नहीं गई थी। जिरह में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मेरा घर व रामदीन का अगल बगल है। सुखराज बौद्ध दूसरे गांव के रहने वाले हैं। इस प्रकार वादी मुकदमा दूसरे गांव का रहने वाला है और यह साक्षी व अभियुक्त एक गांव के रहने वाले हैं। जिरह में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सुखराज बौद्ध क्या करते हैं मुझे जानकारी नहीं है। जिरह में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि **मेरी दरोगा जी से घटना के 4–6 दिन बाद मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी किसी पुलिस या दरोगा से मुलाकात नहीं हुई,** जबकि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तीन महीने बाद सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा पुलिस विवेचक को दिये गये, मुख्यपरीक्षा के बयान व जिरह में दिये गये बयान की अवधि में भी विरोधाभास है।

22. इस प्रकार इस साक्षी के मुख्यपरीक्षा व जिरह के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त की रंजिशन के तथ्य को बल मिलता है। इस साक्षी के साक्ष्य से जैसा

अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन नहीं होता है। इस साक्षी के मुख्यपरीक्षा साक्ष्य व प्रतिपरीक्षा में घोर विरोधाभास है। इस साक्षी के परिसाक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेहजनक प्रतीत होता है।

23. अभियोजन तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 3 रामअवध परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना हुये आज से 07 साल हो रहा है। शाम 06:00 बजे का समय था। मैं बाजार से अपने घर जा रहा था। सुखराज पुत्र जगेशर निवासी ग्राम धर्मापट्टी के हैं, जिनको मैं जानता पहचानता हूं। मैंने इनको लिखते पढ़ते देखा है। सुखराज मुझे घटना के संबंध में बताये थे कि अभियुक्त रामदीन ने मुझे जाति सूचक शब्दों से गाली दिया था, मारा पीटा था, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4अ मेरे समक्ष है जिस पर सुखराज के हस्ताक्षर बने हैं जिसे मैं तस्दीक करता हूं। सुखराज पढ़े–लिखे थे। तहरीर पर प्रदर्श क–5 डाला गया। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि **मैंने घटना नहीं देखी। मेरा पुलिस अधिकारी ने बयान नहीं लिया था।** अगर मेरा कोइ बयान पुलिस ने लिखा है तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। **घटना के संबंध में मुझे सुखराज ने तीन दिन बाद बताया था, घटना सही है कि गलत है इसकी तस्दीक मैंने नहीं किया।** उन्होंने बताया, मैंने सुन लिया। **घटना के समय मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।**

24. इस प्रकार प्रकरण की तहरीर के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह उल्लिखित किया गया है कि हल्ला गुहार पर हदीशुलनिशा, हरीराम, व रामअवध आये। जबकि इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इसने घटना नहीं देखा है। घटना के समय यह घटना स्थल पर नहीं था। इस साक्षी का साक्ष्य सुनी हुई बात पर आधारित है, जोकि इसे वादी ने घटना की बात बतायी थी, किन्तु इस साक्षी ने घटना हुई या नहीं हुई इसको तस्दीक नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति बतायी गई है किन्तु इस साक्षी ने अपने साक्ष्य से स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसने घटना नहीं देखी है, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से वादी मुकदमा की तहरीर के कथन भी संदेहजनक हो जाते हैं। इस साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी जैसा अभियोजन अभियोजन कथानक है, उसकी पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी ने जिरह की गई जिसमें भी इस साक्षी द्वारा अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से इन्कार किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई किन्तु इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिले। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन नहीं होता है।

25. अभियोजन की ओर से औपचारिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0 2 अशोक कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई है तथा इस साक्षी द्वारा अभियोजन पुलिस प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को साबित किया गया है। अभियोजन पक्ष के तथ्य

के साक्षीगण के परिसाक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त पुलिस के औपचारिक विवेचक साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता साबित करने पर भी उक्त औपचारिक साक्ष्य तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के सामने गौड़ हो जाता है, जिसमें तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

26. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज हुई है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि कथित घटना दिनांक 10.04.2013 की है, जबकि संबंधित थाने पर दिनांक 06.07.2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तीन माह विलम्ब से दर्ज करायी गई है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में बल है कि कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गई है।

27. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी/चोटहिल की कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पुलिस उप महानिरीक्षक फैजाबाद के आदेश दिनांकित 04.07.2013 के अनुपालन में संबंधित थाने पर दिनांक 06.07.2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, किन्तु संबंधित थाने द्वारा वादी मुकदमा का मेडिकल कराया जाना दर्शित नहीं है और न ही वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना के तत्काल बाद स्वयं अपना मेडिकल कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता कि वादी मुकदमा को कथित घटना में चोटें आयी थी।

28. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि घटना का हेतुक साबित नहीं है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा अपनी तहरीर में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि आखिर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को किस कारण से गाली गलौज दिया गया, मारा पीटा गया। अभियोजन की और से परीक्षित साक्षीगण द्वारा भी अपने परिसाक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं किया गया है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था, जिसके लिये अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ कथित घटना कारित की गई। इस प्रकार प्रकरण में हेतुक का अभाव है, जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि अभियोजन की कथित घटना का कोई हेतुक नहीं है।

29. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी मुकदमा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उसे परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 1 हदीशुलनिशां को परीक्षित कराया गया है जिसके मुख्य परीक्षा व जिरह के बयानों में परस्पर विरोधभास है तथा अभियुक्त से उसकी पुरानी रंजिश होना दर्शित है और वादी मुकदमा दूसरे गांव का है जबकि पी.डब्लू. 1 हदीशुलनिशां व अभियुक्त एक ही गांव के हैं। अभियोजन तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 3 रामअवध द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, उसके द्वारा कहा गया है कि उसने किसी प्रकार की घटना होते नहीं देखी है। प्रकरण की कथित घटना की रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गई है तथा घटना का कोई

हेतुक होना दर्शित नहीं है। इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं तथा इनके साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन नहीं होता है। अभियोजन कथानक संदेहजनक है। अतः संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन, अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया **असफल** रहा है। अभियुक्त रामदीन पर लगाये गये अपराध के आरोप संदेह से परे सम्पुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त **रामदीन** धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त **रामदीन** को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके स्व–बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए धारा–437ए सी.आर. पी.सी. के अन्तर्गत मु0 20,000/–हजार रूपये (बीस हजार रूपये) के दो प्रतिभू सहित जमानत बन्धपत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–17.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874

आज, निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–17.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874